तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	...के प्रकरण में राजीनामा होकर राजीनामा के अनुसार खातेदारान ... एक हिस्से अनुसार अलग अलग भूमियों की ... कब्जे की खसरेवार रिपोर्ट मय नजरी नक्शा में पृथक पृथक ... हुए मौका रिपोर्ट तैयार कर आगामी पेशी 20.09.2023 तक ... को आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। ... अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी ... प्रतिवादी संख्या 9 की तामील हेतु पेश होने समन तलवाना ... होने मौका जाँच रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर ... दिनांक 20.09.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
20.09.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में न्यायालय द्वारा भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर से चाही गई राजीनामा के अनुसार खातेदारान् के मौके के कब्जे की खसरेवार रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक स्पेशल -1/भू.अ./2023 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली की गई। वादीगण अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर से चाही गई राजीनामा के अनुसार खातेदारान् के मौके के कब्जे की खसरेवार रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा उक्त प्राप्त मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा से सहमति व्यक्त करते हुए प्राप्त मौके के कब्जे की खसरेवार मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु वाद पत्र में आज ही बहस सुनी जाकर ... निस्तारण किये जाने का निवेदन किया ... प्रतिवादीगण द्वारा प्राप्त मौके के कब्जे की खसरेवार मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा से स... -लगातार-

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
व्यक्त करते हुए अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु अनापत्ति पेश की गई। वकील वादीया के निवेदन एंव वकील प्रतिवादीगण की अनापत्ति के आधार पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक स्पेशल –1/भू.अ./2023 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा प्राप्त मौके के कब्जे की खसरेवार मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृतं निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

20/09/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
10 / 2021	2021 / 15	22.01.2021	20.09.2023

उनवान प्रकरण

1. शांति देवी पत्नि किशनलाल आयु 80 वर्ष जाति पंजाबी निवासी वार्ड नम्बर 17 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—— वादीया——

बनाम्

1. ठाकरदास पुत्र मोहनलाल आयु 65 वर्ष
2. जैसाराम पुत्र मोहनलाल आयु 62 वर्ष
3. अमीरचन्द उर्फ अमरचन्द पुत्र मोहनलाल आयु 60 वर्ष

   समस्त जाति पंजाबी निवासीगण वार्ड नम्बर 22 कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

4. माधवसिंह पुत्र नाथूराम आयु 65 वर्ष
5. किस्तुरी देवी पुत्री दडकी देवी पत्नि नाथूराम आयु 60 वर्ष
6. पुष्पा देवी पुत्री दडकी देवी पत्नि नाथूराम आयु 55 वर्ष
7. चन्द्रकला देवी पुत्री दडकी देवी पत्नि नाथूराम उम्र 51 वर्ष
8. रामजीलाल पुत्र अर्जुनलाल आयु 50 वर्ष

   समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 22 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

9. पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
10. सब रजिस्ट्रार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
11. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

12. नगरपालिका जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

--प्रतिवादीगण --

13. धर्मेन्द्र पुत्र किशनलाल आयु 58 वर्ष
14. नरेन्द्र कुमार पुत्र किशनलाल आयु 51 वर्ष
15. रंजना पुत्री किशनलाल आयु 45 वर्ष
16. राजकुमारी पुत्री किशनलाल आयु 50 वर्ष
17. संतोष पुत्री किशनलाल आयु 52 वर्ष
18. सुनिता पुत्री किशनलाल आयु 54 वर्ष
19. किशोर कुमार पुत्र रामलाल आयु 61 वर्ष
20. शम्मी पुत्री रामलाल आयु 45 वर्ष
21. शान्ति पुत्री रामलाल आयु 63 वर्ष
22. संतोष पुत्री रामलाल आयु 50 वर्ष
23. सुषमा पुत्री रामलाल आयु 53 वर्ष
24. सीता पुत्री रामलाल आयु 65 वर्ष
25. लक्ष्मी पुत्री रामलाल आयु 68 वर्ष
26. टेकचन्द पुत्र चिमनलाल आयु 68 वर्ष
27. सुरजप्रकाश पुत्र चिमनलाल आयु 80 वर्ष
28. किशना देवी पुत्री चिमनलाल आयु 73 वर्ष
29. शकुन्तला पुत्री चिमनलाल आयु 70 वर्ष
30. देवी पुत्री चिमनलाल आयु 52 वर्ष

समस्त जाति पंजाबी निवासीगण वार्ड नम्बर 18 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

31. श्री आदर्श विद्या मन्दिर समिति, श्रीमाधोपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested

—तरतीबी प्रतिवादीगण——

20/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपस्थित :–

श्री सरदार सिंह कुडी प्रथम, एड0 वादी अभिभाषक।

श्री रक्षपाल स्वामी, एड0 प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से।

श्री रामावतार सैनी–प्रथम, एड0 प्रतिवादी संख्या 26 व 28 की ओर से।

श्री अनिल यादव, एड0 प्रतिवादी संख्या 31 की ओर से।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से

वादपत्र बाबत घोषणा, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 225 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 226 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 230/1 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 230/2 रकबा 0.03 हैक्टर (जिसका मूल खसरा नम्बर 230 रकबा 0.31 हैक्टर है), तथा खसरा नम्बर 231/1 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 231/2 रकबा 0.15 हैक्टर (जिसका मूल खसरा नम्बर 231 रकबा 0.56 हैक्टर है), खसरा नम्बर 232 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 233 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 238/1 रकबा 0.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 238/2 रकबा 0.08 हैक्टर (जिसका मूल खसरा नम्बर 238 रकबा 0.61 हैक्टर है) कुल किता 13 कुल रकबा 3.26 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित हैं। उक्त वर्णित भूमियां वादीया एवं तरतीबी पक्षकार नम्बर 13 ता 18 के मृत्तक पिता किशनलाल पुत्र चेलाराम हिस्सा 1/6 एवं तरतीबी पक्षकार नम्बर 19 ता 25 के पिता मृत्तक रामलाल पुत्र चेलाराम ... हिस्सा (तरतीबी पक्षकार नम्बर 19 ता 25 की मृत्तक माता देवी बाई ... देहान्त हो चुका है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

जिसके वारिसान तरतीबी पक्षकार 19 ता 25 ही हैं) तथा तरतीबी पक्षकार नम्बर 26 ता 30 के मृत्तक पिता चिमनलाल पुत्र मूलचन्द के 1/3 हिस्सा है (तरतीबी पक्षकार नम्बर 26 ता 30 की मृत्तक माता बेसरी देवी पत्नि चिमनलाल खातेदार का देहान्त हो चुका हैं। जिसके वारिसान तरतीबी पक्षकार 26 ता 30 ही हैं) तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 व इनके मृत्तक पिता मोहनलाल पुत्र गेलाराम पुत्र मूलचन्द व इनके हिस्से में से कयकर्ता प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 8 का 1/3 हिस्सा (प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 के पिता मृत्तक मोहनलाल पुत्र गेलाराम खातेदार का देहान्त हो चुका हैं जिसके वारिसान प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 ही हैं) की खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 7 की मृत्तक माता खातेदार दडकी पत्नि नाथूराम फौत हो चुकी हैं जिसके वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 7 है। उक्त भूमियों में से प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 व इनके मृत्तक पिता मोहनलाल द्वारा अपने हक हिस्से एवं अधिकार की बंटवारे में आयी भूमियों में से मौके पर विक्रय करने तथा कुछ भूमिया नगरपालिका के नाम 90 (बी) होकर नगरपालिका के नाम दर्ज हो गयी। इस प्रकार वर्तमान में मौके पर बाह्मी बंटवारा व हक हिस्से एवं अधिकार में आयी भूमियो की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज नहीं है। वादीया एवं तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 13 ता 30 द्वारा अपने 2/3 हिस्से में से किसी भी प्रकार का कोई भूमियों का विक्रय नहीं किया गया हैं। इस प्रकार वादिया एवं तरतीबी पक्षकार नम्बर 13 ता 30 का उक्त वादग्रस्त भूमियों में 2/3 हिस्सा के हक अधिकारी होकर मौके पर अपने 2/3 हिस्से की भूमियों पर काबिज काश्त एवं आबाद चले आ रहे हैं। इस प्रकार वादी एवं तरतीबी पक्षकार नम्बर 13 ता 30 अपने पैतृक हिस्से अनुसार उक्त भूमियों के 2/3 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार हैं। वादीया एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 एवं तरतीबी पक्षकार नम्बर 13 ता 30 एक ही परिवार से हैं। जिनका सजरा खानदान वर्णित है। उक्त वर्णित भूमिया वादीया एवं तरतीबी पक्षकार नम्बर 13 ता 30 व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के पूर्वज चिमनलाल, गेलाराम, चेलाराम पुत्रगण मूलचन्द ने अपनी भूमियों का विभाजन मौके पर काफी [illegible] कर लिया था। जिसमें वादिया व तरतीबी पक्षकार नम्बर 13 ता 30 [illegible] ने अपने 2/3 हिस्से की भूमि अलग लेकर गेलाराम पुत्र मूलचन्द को 1/[illegible] हिस्से की भूमिया मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested

20/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]माधोपुर (नीमकाथाना)

अलग सम्भला दी थी तथा मौके पर अलग से नींव सीव कायम कर मौके पर अपने हक हिस्से एव अधिकार में आयी हुयी भूमियो पर वादिया एवं तरतीबी पक्षकार नम्बर 13 ता 30 अलग से अपने पूर्वजो के कब्जे काश्त एवं बंटवारे में आये 2/3 हिस्से पर काबिज काश्त हो गये थे तथा वर्तमान में भी उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त एवं आबाद चले आ रहे है एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 व इनके मृत्तक पिता मोहनलाल पुत्र गेलाराम अपने 1/3 हिस्से में आयी हुयी भूमियो पर अलग से काबिज हो गया तथा उसी भूमियो में से प्रतिवादीगण नम्बर 4 व प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 7 की मृत्तक माता दडकी देवी एव प्रतिवादी नम्बर 8 रामजीलाल को बैचान कर अपने हक हिस्से एवं अधिकार में आयी हुयी भूमियों पर मौके पर कब्जा सम्भला दिया था। इस प्रकार मौके पर पक्षकारान के पूर्वजो के बाह्मी बंटवारे के अनुसार निम्नानुसार हक हिस्से एवं अधिकार में भूमिया आयी हुयी है। उक्त भूमियों में वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 13 ता 18 का 1/4 हिस्सा तथा तरतीबी पक्षकारगण नम्बर 19 ता 25 का 1/4 हिस्सा तरतीबी पक्षकार नम्बर 26 ता 30 का 1/2 हिस्सा हक हिस्सा व अधिकार में मौके पर आयी हुयी हैं। उक्त भूमियों के वादीया एवं तरतीबी पक्षकार को उपरोक्त वर्णित हिस्सेनुसार काबिज खातेदार काश्तकार की घोषणा फरमाते हुये जो भूमियां नगरपालिका के नाम दर्ज भूमियों के अलावा शेष रही भूमियों की खातेदारी उपरोक्तानुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड की जानी न्यायोचित है तथा उपरोक्त भूमियों में जो भूमिया नगरपालिका श्रीमाधोपुर के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 230/2 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 238/2 रकबा 0.08 हैक्टर की भूमियो की खातेदारी नगरपालिका के नाम रखते हुये उक्त भूमिया का वादीया एवं तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 13 ता 30 को इनके नाम से या इनके केतागण के नाम से पट्टे प्राप्त करने के हक अधिकारी हैं। उक्त भूमियों से प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 8 व मृत्तक खातेदार मोहनलाल पुत्र गेलाराम व मृत्तक खातेदार दडकी देवी, देवीबाई पत्नि रामलाल, बेसरी देवी पत्नि चीमनलाल का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमावें। उपरोक्त भूमिया प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के हक हिस्से एवं अधिकार में आयी हुयी हैं। जिसमें से प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 व इनके मृत्तक पिता मोहनलाल ने भूमियो का अन्तरण/विकय प्रतिवादी नम्बर 4 व प्रतिवादी नम्बर 5 ता 7 की मृत्तक माता दडकी देवी व प्रतिवादी नम्बर 8 को किया हुआ हैं। इस प्रकार उपरोक्त भूमियों में से भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

खसरा नम्बर 225 रकबा 0.0466 हैक्टर (उत्तरी तरफ की) खसरा नम्बर 231/1 रकबा 0.41 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.4566 हैक्टर का प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज फरमाया जावे तथा भूमि खसरा नम्बर 226 रकबा 0.48 हैक्टर में से प्रतिवादी नम्बर 5 ता 7 को 395/4800 हिस्से का एवं प्रतिवादी नम्बर 4 को 1609/4800 हिस्से का एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 को 2796/4800 हिस्से का बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज फरमाया जावे तथा भूमि खसरा नम्बर 231/2 रकबा 0.15 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 व इनके मृत्तक पिता मोहनलाल पुत्र गेलाराम का हक अधिकारी फरमाते हुये उक्त भूमि में जो नगरपालिका के नाम दर्ज हो चुकी हैं। जिसमें से प्रतिवादी नम्बर 8 रामजीलाल के द्वारा नगरपालिका से पट्टा प्राप्त कर लिया हैं तथा उक्त पट्टे के अलावा शेष भूमि का प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 को हक अधिकारी फरमाते हुये इनके स्वयं के या इनके क्रेतागण को नगरपालिका से पट्टा प्राप्त करने के अधिकारी फरमावे तथा उक्त भूमियों में दर्ज वादिया तरतीबी पक्षकार नम्बर 13 ता 30 एवं मृत्तक खातेदार मोहनलाल पुत्र गेलाराम व मृत्तक खातेदार दडकी देवी, देवी बाई पत्नि रामलाल, बेसरी पत्नि चीमनलाल का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जावे। इस प्रकार नगरपालिका के नाम दर्ज भूमि के अलावा शेष भूमि की खातेदारी उपरोक्त वर्णितानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जावे। प्रतिवादी नम्बर 12 नगरपालिका श्रीमाधोपुर के वादग्रस्त भूमियो में से भूमि खसरा नम्बर 230/2, 238/2, 231/2 की भूमिया नगरपालिका श्रीमाधोपुर के नाम दर्ज हो चुकी है। जो पक्षकारान की वादपत्र में वर्णित बाह्मी बंटवारे के अनुसार हक हिस्से एवं अधिकार में आयी हुयी हैं। जिसका उपयोग करने के पक्षकारान हक अधिकारी है तथा उक्त भूमिया वादग्रस्त भूमियों की शामलाती खातेदारी से अलग होकर नगरपालिका के नाम दर्ज हुयी हैं। इसलिये जिस पक्षकारान के हक हिस्से एवं अधिकार की भूमि नगरपालिका के नाम दर्ज हुयी है। उसका उपयोग–उपभोग करने का अधिकारी हैं। दावा वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाए जाने का निवेदन किया है कि घोषणा बाबत बंटवारा वादपत्र में उक्त वर्णित भूमिया राजस्व ग्राम श्रीमाधोपु[illegible] वर्णित भूमिया बाह्मी बंटवारे के अनुसार घोषणा फरमाते हुये भूमि [illegible] हैक्टर में से 0.0534 हैक्टर उतरी तरफ का, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.32 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 232

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
20/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

रकबा 0.01 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 233 रकबा 0.06 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.06 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.75 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 230/1 रकबा 0.28 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 238/1 रकबा 0.53 हैक्टर सम्पूर्ण कुल किता 8 कुल रकबा 2.0634 हैक्टर का वादीया व तरतीबी पक्षकारगण नम्बर 13 ता 18 को 1/4 हिस्से का बहिस्सा बराबर तथा तरतीबी पक्षकारगण नम्बर 19 ता 25 को 1/4 हिस्से का बहिस्सा बराबर तथा तरतीबी पक्षकार नम्बर 26 ता 30 को 1/2 हिस्से का बहिस्सा बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर उक्त भूमियों की खातेदारी इसी अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड की जावे तथा भूमि खसरा नम्बर 230/2 रकबा 0.03 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 238/2 रकबा 0.08 हैक्टर सम्पूर्ण जो वर्तमान में 90 (बी) होकर नगरपालिका श्रीमाधोपुर के नाम दर्ज हैं यथावत रखते हुये उक्त भूमिया वादीया एवं तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 13 ता 30 के बाह्मी बंटवारा एवं उपयोग-उपभोग की भूमियां घोषित फरमायी जावें। उक्त भूमियों से प्रतिवादी नम्बर 1 ता 8 व मृत्तक खातेदार मोहनलाल पुत्र गेलाराम व मृत्तक खातेदार दडकी देवी पत्नि नाथूराम, देवीबाई पत्नि रामलाल, बेसरी देवी पत्नि चीमनलाल का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमावे तथा वादग्रस्त भूमियों में से भूमि खसरा नम्बर 225 रकबा 0.0466 हैक्टर (दक्षिणी तरफ की) खसरा नम्बर 231/1 रकबा 0.41 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.4566 हैक्टर का प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड फरमाया जावे तथा भूमि खसरा नम्बर 226 रकबा 0.48 हैक्टर में से प्रतिवादी नम्बर 5 ता 7 को 395/4800 हिस्से का एवं प्रतिवादी नम्बर 4 को 1609/4800 हिस्से का एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 को 2796/4800 हिस्से का बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड फरमाया जावे तथा उक्त भूमियों में दर्ज वादीया एवं तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 13 ता 30 व प्रतिवादी नम्बर 8 व मृत्तक खातेदार मोहनलाल पुत्र गेलाराम व दडकी देवी पत्नि नाथूराम, देवीबाई पत्नि रामलाल, बेसरी देवी पत्नि चीमनलाल का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जावे तथा भूमि खसरा नम्बर 231/2 रकबा 0.15 हैक्टर भूमि जो कि नगरपालिका के नाम दर्ज है यथावत रखते हुये उक्त भूमिया प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 एवं प्रतिवादी नम्बर 8 के बाह्मी बंटवारा एवं उपयोग-उपभोग की भूमिया घोषित फरमाया जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 8 द्वारा अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested

20/01/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हिस्से में आयी हुयी भूमि का पट्टा प्राप्त कर लिया हैं तथा शेष भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के यथावत रखी जावे। प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावें कि वे उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 225 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 226 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 230/1 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 230/2 रकबा 0.03 हैक्टर (जिसका मूल खसरा नम्बर 230 रकबा 0.31 हैक्टर है) तथा खसरा नम्बर 231/1 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 231/2 रकबा 0.15 हैक्टर (जिसका मूल खसरा नम्बर 231 रकबा 0.56 हैक्टर), खसरा नम्बर 232 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 233 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 238/1 रकबा 0.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 238/2 रकबा 0.08 हैक्टर (जिसका मूल खसरा नम्बर 238 रकबा 0.61 हैक्टर है) कुल किता 13 कुल रकबा 3.26 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में वादीया एवं तरतीबी पक्षकार नम्बर 13 से 30 के हक हिस्से में आयी भूमि के वादीया एवं तरतीबी पक्षकारान के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत ना तो स्वयं करें ना ही दीगर से करावें ना ही उक्त भूमि के किसी भी भू–भाग पर कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करें, ना ही दीगर से करावे, ना ही दीगर अजनबी, भूमाफियावृत्ति के लोगो को किसी प्रकार से विक्रय पत्र, इकरारनामा, दानलेख, से अन्तररित करें, ना ही भूमि मुतनाजा को या उसके किसी भाग को दीगर किसी को रहन रखे ना ही भूमि मुतनाजा के किसी विशिष्ठ भाग पर कोई अवैध कब्जा आदि करने का प्रयास करें, ना ही ऐसा कोई कृत्य करे या करावे जिससे वादिया एवं तरतीबी पक्षकारान के हक हकूकों पर कोई विपरित असर पडता हो एवं प्रतिवादीगण नम्बर 09 ता 12 को भी को भी पाबन्द फरमाया जावे कि उनके समक्ष विवादग्रस्त भूमियो बाबत प्रस्तुत होने वाले किसी भी अन्तरण लेख को तस्दीक नही करे ना ही रिकार्ड परिवर्तन करे ना ही रहन रखे ना ही ऋणधण जारी करें। इसलिए वाद वास्ते तकारम्मा व स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

इस पर वादीया के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर वकील वादिया ने उपस्थित होकर पक्षकारान की ओर से दिनांक 09.04.2021 को राजीनामा पेश किया। जिसमें उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की पहचान श्री सॉवर मल महला, एड0 की एंव वादिया की पहचान वादिया वकील श्री सरदार सिंह कुडी प्रथम एड0 ने की। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से इकबालिया जवाब दावा भी पेश किया गया। वकील प्रतिवादीगण ने वादिया के हक में दिनांक 09.07.2021 को पुनः राजीनामा पेश किया। जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 4, 5, 7, 8 की पहचान श्री बनवारी लाल कुडी एड0 ने की एंव प्रतिवादीगण संख्या 13, 14 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 18 की ओर से जरिये मुख्त्यार खास धर्मेन्द्र उर्फ धर्मपाल, प्रतिवादी संख्या 19 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 20 ता 25 जरिये मुख्त्यार खास किशोर सिंह व प्रतिवादी संख्या 27, 29 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 30 जरिये मुख्त्यार खास सुरजप्रकाश की पहचान श्री सॉवर मल महला एड0 ने की। उपस्थित पक्षकारान् के द्वारा राजीनामा सही होना स्वीकार किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से श्री रक्षपाल स्वामी एड0 ने एंव प्रतिवादी संख्या 26 व 28 की ओर से श्री रामावतार सैनी प्रथम एड0 ने वकालतनामे पेश किये। श्री रामावतार सैनी प्रथम एड0 ने एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण में अन्य पक्षकारान् के द्वारा पूर्व में दिनांक 09.07.2021 को प्रस्तुत राजीनामा को प्रतिवादी संख्या 26 व 28 की ओर से भी स्वीकार करते हुए राजीनामा दिनांकित 09.07.2021 के अनुसार वादपत्र को स्वीकार कर निर्णित फरमायें जाने का निवेदन किया गया। श्री अनिल यादव एड0 ने प्रार्थी/आवेदक श्री आदर्श विद्या मन्दिर समिति श्रीमाधोपुर जरिये सचिव जितेन्द्र शर्मा निवासी श्रीमाधोपुर की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश किया। जिसको बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/आवेदक को प्रतिवादी संख्या 31 संयोजित किया जाकर लाल स्याही से शीर्षक वादपत्र में अंकित किया गया। प्रतिवादी संख्या 31 ने एक प्रार्थना पत्र बाबत खसरा नम्बर 231/1 रकबा 0.41 हैक्टर में से 0.1824.32 हैक्टर भूमि का मौके पर कब्जे के अनुसार अलग से खातेदार घो[illegible] बाबत निवेदन करते हुए प्रतिवादी संख्या 31 की ओर से जवाब [illegible] प्रतिवादी संख्या 6 की तामील

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested

20/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

जरिये रजिस्टर्ड डाक से एवं प्रतिवादीगण संख्या 9, 10 व 11 की सम्मन तामील साधारण तरीके से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादीगण संख्या 6, 9, 10 व 11 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में वकील वादिया ने एक प्रार्थना पत्र बाबत वादग्रस्त आराजी भूमियों की मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर से मँगवाये जाने का पेश किया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद के वास्तविक निर्णय निर्धारण हेतु वादग्रस्त आराजी भूमियों की मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक 3457/रीडर/2023 दिनांक 14.09.2023 के द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर से मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि :– वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 225, 226, 227, 230/1, 230/2 (मूल खसरा नम्बर 230 रकबा 0.31 हैक्टर) तथा खसरा नम्बर 231/1, 231/2 (मूल खसरा नम्बर 231 रकबा 0.56 हैक्टर) तथा खसरा नम्बर 232, 233, 234, 236, 238/1, 238/2 (मूल खसरा नम्बर 238 रकबा 0.61 हैक्टर) कुल किता 13 कुल रकबा 3.26 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना मौके पर हक हिस्से एवं मुताबिक वादीया व प्रतिवादीगणों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार मौके के कब्जे की खसरेवार रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तावित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा निम्नानुसार प्रेषित किये गये हैं:–

मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमियॉ

क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. शांति देवी पत्नि किशनलाल हिस्सा 1/28 2. धर्मेन्द्र पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/28	225/1 227	0.0534 0.32	बा0 2 चाही 2 0.20 बा0ए 0.12	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested

20/09/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

	3. नरेन्द्र पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/28				
	4. रंजना पुत्री किशनलाल हिस्सा 1/28				
	5. राजकुमारी पुत्री किशनलाल हिस्सा 1/28	232	0.01	गै०मु०चाह	
	6. संतोष पुत्री किशनलाल हिस्सा 1/28	233/1	0.05	गै०मु० आबादी	
	7. सुमित्रा पुत्री किशनलाल हिस्सा 1/28	233/2	0.01	गै०मु०रास्ता	
	8. किशोरकुमार पुत्र रामलाल हिस्सा 1/28	236	0.75	चाही०ए	
	9. शमी पुत्री रामलाल हिस्सा 1/28	230/1	0.2640		
	10. शांति पुत्री रामलाल हिस्सा 1/28			चाही०ए 0.27	
	11. संतोष पुत्री रामलाल हिस्सा 1/28			बा०ए 0.01	
	12. सुषमा पुत्री रामलाल हिस्सा 1/28	238/1	0.53	चाही०ए	
	13. सीता पुत्री रामलाल हिस्सा 1/28				
	14. लक्ष्मी पुत्री रामलाल हिस्सा 1/28	234	0.06	चाही०ए	
	15. टेकचंद पुत्री चिमनलाल हिस्सा 1/10	230/1/3	0.0160	गै०मु०रास्ता	
	16. सूरजप्रकाश पुत्र चिमनलाल हिस्सा 1/10				
	17. किशनादेवी पुत्री चिमनलाल हिस्सा 1/10				
	18. शंकुतला पुत्री चिमनलाल हिस्सा 1/10				
	19. देवी पुत्री चिमनलाल हिस्सा 1/10 समस्त जाति पंजाबी सा0 देह खातेदार				
	योग खाता	किता–9	2.0634		

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested

20/01/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

02.	1. ठाकरदास पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/2 2. अमीरचंद उर्फ अमरचंद पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/2 समस्त जाति पंजाबी सा0 देह खातेदार	231/1/1 231/1/2 231/1/3	0.0200 0.0050 0.2026	गै0मु0रास्ता गै0मु0रास्ता चाही0 ए	
	योग खाता	किता–3	0.2276		
03	श्री आदर्श विद्या मन्दिर समिति श्रीमाधोपुर सचिव जितेन्द्र कुमार शर्मा हिस्सा सम्पूर्ण	231/1/4	0.1824	चाही ए	
04.	1. माधवसिंह पुत्र नाथूराम जाति जाट हिस्सा 280/466 2. ठाकरदास पुत्र मोहनलाल जाति पंजाबी हिस्सा 62/466 3. जैसाराम पुत्र मोहनलाल जाति पंजाबी हिस्सा 62/466 4. अमीरचंद उर्फ अमरचंद पुत्र मोहनलाल जाति पंजाबी हिस्सा 62/466	225/2	0.0466	बा02	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप [illegible]ह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

05.	1. किस्तुरी देवी पुत्री दडकी पत्नी नाथूराम जाति जाट हिस्सा 79/2880 2. पुष्पा देवी पुत्री दडकी पत्नी नाथूराम जाति जाट हिस्सा 79/2880 3. चन्द्रकला पुत्री दडकी पत्नी नाथूराम जाति जाट हिस्सा 79/2880 4. माधवसिंह पुत्र नाथूराम जाति जाट हिस्सा 1319/4800 5. ठाकरदास पुत्र मोहनलाल जाति पंजाबी हिस्सा 1543/7200 6. जैसाराम पुत्र मोहनलाल जाति पंजाबी हिस्सा 1543/7200 7. अमीरचंद उर्फ अमरचंद पुत्र मोहनलाल जाति पंजाबी हिस्सा 1543/7200	226	0.48	चाहीए1 0.35 बा02 0.09 बा0ए 0.04	
06.	1. नगरपालिका श्रीमाधोपुर नोटः– ग्राम श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 230/2, 238/2 किता 2 रकबा 0.11 हैक्टर [illegible]	230/2 238/2	0.03 0.08	बा ए चाही ए	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

	खातेदारी नगरपालिका श्रीमाधोपुर के नाम दर्ज है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 13 ता 18 (किशनलाल के वारिस) हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 19 ता 25 (रामलाल के वारिस) हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 26 ता 30 (चिमनलाल के वारिस) का हिस्सा 1/2 का हक हिस्सा रहेगा।				
	योग खाता	किता–2	0.11		
07.	1. नगरपालिका श्रीमाधोपुर नोटः– ग्राम श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 231/2 किता 1 रकबा 0.15 हैक्टर भूमि की खातेदारी नगरपालिका श्रीमाधोपुर के नाम दर्ज हैं। पक्षकारान के मध्य राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 8 के बाहमी बंटवारे व उपयोग व उपभोग की भूमि रहेगी।	231/2	0.15	चाही ए	

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सत्यमेव जयते)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested

20/01/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रकरण में भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर से फर्द मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर वकील वादीया ने साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे ही भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर से प्राप्त खातेदारान् के मौके पर हक हिस्से के अनुसार प्रस्तावित भूमियों के राजीनामा व मौका रिपोर्ट प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ही प्रकरण में अन्तिम निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगणों ने उक्तानुसार ही पक्षकारान् का विधिक बंटवारा किये जाकर उसी अनुसार उद्घोषणा किये जाने बाबत सहमति व्यक्त की गई। वही उपस्थित वकील प्रतिवादी संख्या 31 ने प्राप्त प्रस्ताव में अंकित भूमियों में से प्रतिवादी संख्या 31 के हक हिस्से में आने वाली भूमियों का विधिक हिस्सेनुसार खातेदारी पृथक से दर्ज करने की शर्त पर विधिक बंटवारा किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर व साक्ष्य नहीं ली जाकर प्रकरण को सीधे ही बहस में लिया गया। वकील वादीया ने वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण को स्वीकार किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगणों ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति प्रदान की। वकील प्रतिवादीगणों की सहमति के आधार पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् हेतु पत्रावली रखी गई।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा दिनांकित 09.04.2001, 09.07.2021 के कुल चार राजीनामें व राजीनामा बाबत स्वीकारोक्ति दिनांक 27.06.2023 का प्रार्थना पत्र, इकबालिया जवाब दावा, मुख्तयारनामा खास कुल नो प्रतियॉ, शुद्धि लेख की फोटोप्रति, विक्रय लेख की फोटोप्रति एंव दस्तावेजात् जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034, 2054 से 2057, 2058 से 2061 चार जमाबन्दियॉ, 2074–2077 पॉच जमाबन्दियॉ, भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी वादिया व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड होना प्रकट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested

20/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

होता है। उक्त राजस्व रिकार्ड मे दर्ज भूमियों का वादिया व प्रतिवादीगणों के मध्य विधिक विभाजन अभी तक नहीं कराया जाना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियों पर वादिया व प्रतिवादीगण का अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर लगातार काश्त किया जाना प्रकट होता है। प्रकरण में पक्षकारान् वादीया एंव प्रतिवादीगणो के मध्य आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से हाजिर न्यायालय होकर कुल चार राजीनामे पेश कर तस्दीक कराया जाना प्रकट होता है। वादीया व प्रतिवादीगण ने अपने मध्य हुए राजीनामों में अंकित विवरणानुसार उक्त वादपत्र का निस्तारण करवाना चाहते है तथा राजीनामों में अंकित विवरणानुसार भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार ही पक्षकारान् मौके पर काबिज होकर अपनी–अपनी भूमियों को काश्त करते चले आना प्रमाणित होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियों का पक्षकारान् के द्वारा सैटलमेंट बाहमी बंटवारा किया जाकर उसी अनुसार मौके पर अपने – अपने हिस्से की भूमियों पर काबिज काश्त होना प्रकट होता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के पक्ष में पेश किये गये राजीनामा के आधार पर वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा, तकारस्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीया का वाद बाबत् घोषणा, तकारस्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि मौका कमिश्नर के रूप में राजस्व अधिकारी भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व इसके संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 225, 226, 227, 230/1, 230/2 (मूल खसरा नम्बर 230 रकबा 0.31 हैक्टर), खसरा नम्बर 231/1, 231/2 (मूल खसरा नम्बर 231 रकबा 0.56 हैक्टर) खसरा नम्बर 232, 233, 234, 236 खसरा नम्बर 238/1, 238/2 (मूल खसरा नम्बर 238 रकबा 0.[illegible] हैक्टर) कुल किता 13 कुल रकबा 3.26 हैक्टर भूमि का भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट मय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested

20/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

नजरी नक्शा संलग्न सूचि अनुसार निम्न प्रकार से वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में हुए राजीनामा अनुसार पक्षकारान् के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

क्र. स.	मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमियाँ				
	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. शांति देवी पत्नि किशनलाल हिस्सा 1/28 2. धर्मेन्द्र पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/28 3. नरेन्द्र पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/28 4. रंजना पुत्री किशनलाल हिस्सा 1/28 5. राजकुमारी पुत्री किशनलाल हिस्सा 1/28 6. संतोष पुत्री किशनलाल हिस्सा 1/28 7. सुमित्रा पुत्री किशनलाल हिस्सा 1/28 8. किशोरकुमार पुत्र रामलाल हिस्सा 1/28 9. शमी पुत्री रामलाल हिस्सा 1/28 10. शांति पुत्री रामलाल हिस्सा 1/28 11. संतोष पुत्री रामलाल हिस्सा 1/28 12. सुषमा पुत्री रामलाल हिस्सा 1/28 13. सीता पुत्री रामलाल हिस्सा 1/28 14. लक्ष्मी पुत्री रामलाल हिस्सा 1/28 15. टेकचंद पुत्री चिमनलाल हिस्सा 1/10 16. सूरजप्रकाश पुत्र चिमनलाल हिस्सा 1/10 17. किशनादेवी पुत्री चिमनलाल हिस्सा 1/10	225/1 227 232 233/1 233/2 236 230/1 238/1 234 230/1/3	0.0534 0.32 0.01 0.05 0.01 0.75 0.2640 0.53 0.06 0.0160	बारानी 2 चाही 2 0.20 बारानी ए 0.12 गै0मु0चाह गै0मु0 आबादी गै0मु0रास्ता चाही ए चाही ए 0.27 बारानी ए 0.01 चाही ए चाही ए गै0मु0रास्ता	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested

20/09/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

	18. शंकुतला पुत्री चिमनलाल हिस्सा 1/10 19. देवी पुत्री चिमनलाल हिस्सा 1/10 समस्त जाति पंजाबी सा0 देह खातेदार				
	योग खाता	किता– 10	2.0634		
02.	1. ठाकरदास पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/2 2. अमीरचंद उर्फ अमरचंद पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/2 समस्त जाति पंजाबी सा0 देह खातेदार	231/1/1 231/1/2 231/1/3	0.0200 0.0050 0.2026	गै0मु0रास्ता गै0मु0रास्ता चाही ए	
	योग खाता	किता–3	0.2276		
03.	श्री आदर्श विद्या मन्दिर समिति श्रीमाधोपुर सचिव जितेन्द्र कुमार शर्मा हिस्सा सम्पूर्ण	231/1/4	0.1824	चाही ए	
04.	1. माधवसिंह पुत्र नाथूराम जाति जाट हिस्सा 280/466 2. ठाकरदास पुत्र मोहनलाल जाति पंजाबी हिस्सा 62/466 3. जैसाराम पुत्र मोहनलाल जाति पंजाबी हिस्सा 62/466 4. अमीरचंद उर्फ अमरचंद पुत्र मोहनलाल जाति पंजाबी हिस्सा 62/466	225/2	0.0466	बारानी 2	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested

20/09/23

05.	1. किस्तुरी देवी पुत्री दडकी पत्नी नाथूराम जाति जाट हिस्सा 79/2880 2. पुष्पा देवी पुत्री दडकी पत्नी नाथूराम जाति जाट हिस्सा 79/2880 3. चन्द्रकला पुत्री दडकी पत्नी नाथूराम जाति जाट हिस्सा 79/2880 4. माधवसिंह पुत्र नाथूराम जाति जाट हिस्सा 1319/4800 5. ठाकरदास पुत्र मोहनलाल जाति पंजाबी हिस्सा 1543/7200 6. जैसाराम पुत्र मोहनलाल जाति पंजाबी हिस्सा 1543/7200 7. अमीरचंद उर्फ अमरचंद पुत्र मोहनलाल जाति पंजाबी हिस्सा 1543/7200	226	0.48	चाही०ए 0.35 बा02 0.09 बा०ए 0.04		
06.	1. नगरपालिका श्रीमाधोपुर नोटः— ग्राम श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 230/2, 238/2 किता 2 रकबा 0.11 हैक्टर भूमि की	230/2 238/2	0.03 0.08	बा ए चाही ए		

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested

20/09/

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

चन्द्रकला देवी पुत्री दडकी देवी ...

	खातेदारी नगरपालिका श्रीमाधोपुर के नाम दर्ज है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 13 ता 18 (किशनलाल के वारिस) हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 19 ता 25 (रामलाल के वारिस) हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 26 ता 30 (चिमनलाल के वारिस) का हिस्सा 1/2 का हक हिस्सा रहेगा					
	योग खाता	किता–2	0.11			
07.	1. नगरपालिका श्रीमाधोपुर नोटः– ग्राम श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 231/2 किता 1 रकबा 0.15 हैक्टर भूमि की खातेदारी नगरपालिका श्रीमाधोपुर के नाम दर्ज हैं। पक्षकारान के मध्य राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 8 के बाहमी बंटवारे व उपयोग व उपभोग की भूमि रहेगी।	231/2	0.15	चाही ए		

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested

20/09/2[illegible]
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

इसी अनुसार नगरपालिका श्रीमाधोपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी भूमियाँ प्राप्त मौका रिपोर्ट की कम संख्या 6 व 7 पर अंकित पक्षकारान् के हक हिस्से में बंटवारे में आई भूमियाँ घोषित की जाती है। जिनके उपयोग उपभोग के अधिकारी उक्तानुसार कम संख्या 6 व 7 पर अंकित अनुसार पक्षकारान् होगें, जिसकी खातेदारी वर्तमान में नगरपालिका श्रीमाधोपुर के नाम दर्ज रिकार्ड हो चुकी है, जिनको यथावत रखते हुए शेष भूमियों की खातेदारी का उक्तानुसार वादीया व प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड, नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी में अलग से बट्टा नम्बर दर्ज करते हुए पृथक से लगान कायम किया जाकर उक्तानुसार खातेदारी अलग-अलग दर्ज राजस्व रिकार्ड की जावे। भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का भाग बनाया जाता है। भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Rathore 20/09/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 20.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rathore 20/09/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:20 IST
Reason: SelfAttested